

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी,  
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, मीरजापुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज,  
कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर,  
वाराणसी।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2017

विषय:-उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों एवं वन स्टाप सेन्टर के संचालन हेतु  
उपलब्ध बजट के उपभोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-1254 / 60-3-2016-13(2) / 15टी0सी0, दिनांक 04.11.2016 द्वारा 11 जनपदों में आशा ज्योति केन्द्रों के संचालन हेतु आवर्तक मद में रू0-2,34,96,000/- तथा अनावर्तक मद में रू0-85,80,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी है। अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0एन0-22 / 7 / 2016-डब्लू0डब्लू0, दिनांक 30.08.2016 के क्रम में शासनादेश संख्या-1488 / 60-3-2017, दिनांक 02.01.2017 द्वारा 16 जनपदों यथा-आगरा, इलाहाबाद, बरेली, मीरजापुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, वाराणसी में वन स्टाप सेन्टर के संचालन हेतु रू0-454.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वन स्टाप सेन्टर के संचालन हेतु आवर्तक व्यय प्रति सेन्टर रू0-15,00,450/- (06 माह के लिए) एवं अनावर्तक व्यय प्रति केन्द्र रू0-13,41,000/- (06 माह के लिए) जिसका कुल योग प्रति वन स्टाप सेन्टर रू0-28,41,450/- है, का निर्धारण किया गया है। आशा ज्योति केन्द्र/वन स्टाप सेन्टर के संचालन के लिए उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धित जनपदों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1545 / 60-3-2016-48(सा0) / 16, दिनांक 02.01.2017 के द्वारा उक्त 16 जनपदों में वन स्टाप सेन्टर तथा आशा ज्योति केन्द्रों के संचालन हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे। आशा ज्योति केन्द्रों में समुचित कूलिंग व्यवस्था किये जाने के लिए टर्बो वेन्टीलेटर/ए0सी0 संयंत्र लगाये जाने के निर्देश पत्र संख्या-434 / 60-3-2017, दिनांक 31.03.2017 द्वारा

कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को दिये गये थे, कतिपय केन्द्रों में जिला परीक्षा अधिकारियों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में एअर कूलर लगवाये गये हैं।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत दिशा-निर्देशों के क्रम में आशा ज्योति केन्द्रों/वन स्टाप सेन्टरों के संचालन में किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि का व्यय किया गया है, से सम्बन्धित मदवार विस्तृत व्यय विवरण उपलब्ध करायें। इस बिन्दु पर भी सूचना उपलब्ध करायें कि मदों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुयें किस कार्यदायी संस्था से क्रय की गयी हैं। कृपया उपरोक्त आख्या/विवरण प्राथमिकता के आधार पर 02 कार्यदिवसों के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-502 (1)/60-3-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

संयुक्त सचिव।